"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 28, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 (अग्रहायण 28, 1927)

क्रमांक-14135/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005), पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 26 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2005

वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक सन् 2005) है.

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये राज्य की संचित निधि में से 398, 44, 35, 982 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ अनठान्वे करोड चवालीस लाख पैंतीस हजार नौ सौ बियासी रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत वित्तीय वर्ष 2005- 2006 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये.
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,00,100	5,00,000	8,00,100
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	36,20,000	0	36,20,000
03	पुलिस	राजस्व	8,42,88,000	0	8,42,88,000
		पूंजी	5,15,00,000	0	5,15,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	5,15,00,000	0	5,15,00,000
05	जेल	राजस्व	7,47,00,000	0	7,47,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,39,63,600	0	1,39,63,600

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	2,03,60,000	11,52,300	2,15,12,300
10	वन	राजस्व	2,44,50,000	3,75,90,475	6,20,40,475
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	9,70,84,000	0	9,70,84,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,08,00,100	0	10,08,00,100
		पूंजी	25,00,00,000	0	25,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	7,45,00,000	0	7,45,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	30,00,000	2,11,000	32,11,000
16	मछली पालन	राजस्व	3,28,000	0	3,28,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3,32,39,600	0	3,32,39,600
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	6,50,000	0	6,50,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,00,07,100	0	2,00,07,100
		पूंजी	5,40,06,000	0	5,40,06,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	2,50,00,000	0	2,50,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	66,79,000	0	66,79,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	18,76,30,800	0	18,76,30,800
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	16,69,000	6,25,000	22,94,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	17,70,000	200	17,70,200
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	23,52,300	23,52,400

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	100	0	100
34	समाज कल्याण	राजस्व	1,50,000	0	1,50,000
37	पर्यटन	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,06,81,000	0	1,06,81,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	51,54,21,967	0	51,54,21,967
		पूंजी	30,85,09,300	0	30,85,09,300
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	9,50,00,200	0	9,50,00,200
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	10,00,100	0	10,00,100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	28,95,15,100	0	28,95,15,100
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	600	0	600
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	3,17,01,000	0	3,17,01,000
		पूंजी	4,16,00,100	0	4,16,00,100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,85,00,400	0	2,85,00,400
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	7,50,000	0	7,50,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	1,600	0	1,600
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	5,24,42,000	0	5,24,42,000
		पूंजी	3,20,00,000	0	3,20,00,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	1,78,16,000	0	1,78,16,000
		पूंजी	40,00,000	0	40,00,000

(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	43,75,000	0	43,75,000
67.	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	13,74,83,000	0	13,74,83,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	200	0	200
77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व पूंजी	10,00,000 25,00,000	0 0	10,00,000 25,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व पूंजी	1,46,69,040 7,50,00,000	0 0	1,46,69,040 7,50,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	29,85,42,200	0	29,85,42,200
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	47,98,00,000	0	47,98,00,000
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	12,35,00,200	0	12,35,00,200
	योग	**राजस्व** **पूंजी**	**2,78,04,04,307** **1,16,16,00,400**	**4,24,31,275** **0**	**2,82,28,35,582** **1,16,16,00,400**
	वृहद योग		**3,94,20,04,707**	**4,24,31,275**	**3,98,44,35,982**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 16 दिसम्बर, 2005

अमर अग्रवाल
वित्त मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.